न्यायालय सहायक कलक्टर ,साचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 08 / 2017
जीसीएमएस नम्बर 2017 / 00010

वादी

1. कालुराम पुत्र होथीजी
2. दरियादेवी पत्नी कालाराम जाति मेघवाल निवासी डडूसन तहसील सांचौर

प्रतिवादीगण

1. मानाराम पुत्र दूदाजी
2. भाना पुत्र दूदाजी जातियान मेगवाल निवासी बावरला तहसील सांचौर
3. तहसीलदार सांचौर

अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री भीमाराम चौधरी वादीगण अधिवक्ता।
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री जोधाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक :– 6/11/2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बारवला के खेत खसरा नम्बर 964 / 1 रकबा 1.13 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का कालुराम पुत्र होथीजी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा का आया हुआ है जो राजस्व रेकर्ड में तरमीमसुदा है। व इसके पास खेत खसरा नम्बर 1406 / 965 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का दरियादेवी पत्नि कालाराम के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा का आया हुआ है।
2. उक्त खेत खसरा नंबर 964 / 1 रकबा 1.13 हैक्टर के पूर्वी तरफ प्रतिवादी मानाराम का खेत आया हुआ है। तथा खेत खसरा नम्बर 964 / 1 रकबा 1.13 हैक्टर व खसरा नंबर 1406 / 965 रकबा 0.16 हैक्टर के पश्चिम की तरफ प्रतिवादी भानाराम का खेत आया हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हमेशा खेत खसरा नंबर 964 / 1 व 1406 / 965 की माठ तोडते रहते है, तथा खडी फसल को नुकसान पहुंचाते है। हमने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कई बार कहा मगर प्रतिवादीगण अपनी वैजा हरकतो से बाज नही आ रहे है। दिनांक–07.01.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हमारे खेतो की माठे तौडने लगे, हमने प्रतिवादीगण को मना किया मगर प्रतिवादीगण मना करने पर भी नही मान रहे है, तथा मरने मारने पर उतारू हो [illegible] सूरत में दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय [illegible]
3. वादीगण की वाद में इस्तदुआ है कि मौजा [illegible] के खेत खसरा नम्बर 964 / 1 रकबा 1.13 हैक्टर बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 1406 / 965 रकबा 0.16 [illegible] वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के होने से इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमावे कि खेत खसरा नम्बर 1406/965 व 964/1 मे न तो प्रतिवादीगण स्वयं एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुकशआमन ही करावे। साथ ही उपरोक्त खसरांन की भूमि के माठ व भूमि मे खडी फसल मे किसी प्रकार की दखलंदाजी या नुकसान न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमावे ।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर उपरान्त जवाब नहीं देने पर इनका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इकबालिया जवाब दिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

5. वादीगण वकिल द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तथा सिधे ही अंतिम बहस करने का निवेदन किया गया जिसको स्वीकार कर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौजा बावरला की जमाबंदी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 14 में खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टेयर वादी कालूराम पुत्र होथी कौम मेगवाल सा. डडूसन खातेदार व खाता संख्या 53 में खसरा संख्या 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम वादीया दरियादेवी पत्नी कालाराम कौम मेगवाल सा. डडूसन खातेदार दर्ज है। तथा इसके पश्चिम में प्रतिवादी भानाराम व पूर्व में प्रतिवादी मानाराम का खेत आया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व समस्त पक्षो पर गौर करने के बाद आर्देशित किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी मौजा के खसरा नम्बर 964/1 रकबा 1.13 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1406/965 रकबा 0.16 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं न तो कोई दखलंदाजी या नुकसान स्वयं करेगें एवं न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

6. पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 6/11/2024 को सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner